भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3604

(जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"भारतीय वस्तुओं पर अमरीका द्वारा प्रतिकारी (रेसिप्रोकल) शुल्क की धमकी"

3604. **श्री एम. के राघवनः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या सरकार ने भारतीय वस्तुओं पर अमरीका द्वारा प्रतिकारी (रेसिप्रोकल) शुल्क लगाने की धमकी से उत्पन्न खतरे के प्रभाव का कोई आकलन किया है;
(ख)यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) अमरीका द्वारा प्रतिकारी (रेसिप्रोकल) शुल्क लगाने की धमकी के कारण देश के किन विशिष्ट वस्तुओं या क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है; और
(घ) प्रभावित क्षेत्रों की चिन्ताओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली कतिपय वस्तुओं पर 7 अगस्त, 2025 से 25% की दर से प्रतिकारी (रेसिप्रोकल) शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि अमेरिका को भारत से निर्यात होने वाले वस्तु निर्यात के कुल मूल्य का लगभग 55% इस प्रतिकारी (रेसिप्रोकल) शुल्क के अधीन होगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अमेरिका द्वारा सभी देशों से आयात पर अलग-अलग दरों पर प्रतिकारी (रेसिप्रोकल) शुल्क लगाए गए हैं। उत्पाद विभेदीकरण, मांग, गुणवत्ता, संविदात्मक व्यवस्था जैसे विभिन्न कारक मिल-जुलकर भारत के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को निर्धारित करेंगे।

(ग) और (घ): वाणिज्य विभाग निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर परिस्थिति के उनके आकलन पर प्रतिक्रिया ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई आदि के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

*****